

न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर
रामस्वरूप बनाम सीता वगै0

मुकदमा नम्बर:- 26/14 किस्म मुकदमा:- प्रार्थना पत्र दर:- 212 आरटीए
एक्ट

10.10.23



पत्रावली आज पेश हुयी। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी को अग्रार्थीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुये। जिसे शामिल प्रार्थीगण को प्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री लोकेश कुमार सिंहा एडवोकेट न वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के अभाव में भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः न्यायहित में इनका जवाब बन्द किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान बताया कि ग्राम सारसोप के खसरा नम्बर 1412 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि प्रार्थी के पिता के नाम खातेदारी थी, जिसके हाल खसरा नम्बर 3065 रकबा 0.49 हैक्टर बनाये है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी है। सेटलमेन्ट विभाग ने प्रार्थी के पिता की भूमि को अप्रार्थीया के नाम खातेदारी दर्ज कर दी। अप्रार्थीया उस खातेदारी भूमि का रहन बेचान करने पर आमादा है। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत् 2041-44 में खसरा नम्बर 1412 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि प्रार्थी के पिता के नाम खातेदारी दर्ज है। जबकि हाल रिकोर्ड में यह भूमि अप्रार्थीया के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई है। उक्त भूमि को अप्रार्थी बेचान करने पर आमदा है।

अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया एवं सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. एक्ट स्वीकार किया जाता है। अतः प्रकरण में अंकित विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 3065 रकबा 0.49 हैक्टर वाके ग्राम ऐचेर तहसील चौथ का बरवाड़ा की भूमि को अप्रार्थीया को मूल वाद के निस्तारण तक उपरोक्त आराजीयात को किसी अन्य व्यक्ति को रहन व बेचान न तो स्वयं करे और नही अन्य से कराने बाबत् अप्रार्थीया को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा